न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम :राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 222/2020
निर्णय दिनांक :

उनवान

1. रामावतार पुत्र रामसहाय
2. सत्यनारायण उर्फ रतन मोहन पुत्र रामसहाय
3. श्रीनन्दन पुत्र रामसहाय
4. चन्द्रप्रकाश पुत्र रामसहाय
5. राजकुमारी पत्नी स्व श्याम प्रकाश
6. वरूण पुत्र स्व श्याम प्रकाश
7. मेघना पुत्री स्व श्याम प्रकाश
8. रामशरण पुत्र भौरीलाल
9. रामकृपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण

समस्त जातियान पुरोहित निवासी ग्राम खेडी गोकुलपुरा तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. रामकिशोर पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति पुरोहित
2. प्रेम देवी पुत्री स्व रामसहाय जाति पुरोहित
3. रामकन्या पुत्री स्व रामसहाय जाति पुरोहित
   निवासीगण– ग्राम खेडी गोकुलपुरा तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
4. तोलराम यादव पुत्र कजोड जाति–अहीर, निवासी यादव इलेक्ट्रीशियन, संजीवनी अस्पताल के पास, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 386 रकबा 0.23 हैक्टयर स्थित ग्राम खेडी गोकुलपुरा पटवार हल्का खेडी गोकुलपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है।

वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 386 रकबा 0.23 हैक्टयर स्थित ग्राम खेडी गोकुलपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे वादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता व वादी संख्या 5 के ससूर व वादी [illegible] के [illegible]सहाय व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता रामसहाय, रामशरण पुत्र [illegible] संख्या 8 का हिस्सा 1/4 जाति पुरोहित तथा [illegible] व रामकिशोर प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा [illegible] अवधि बंदोबस्त राजस्व रिकॉर्ड बना हुआ था।

वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 386 रकबा 0.23 हैक्टेयर स्थित ग्राम खेडी गोकुलपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 03.11.1998 के द्वारा अपना हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 4 के पिता कजोड को बेचान करने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 41 दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:41:00 IST
Reason: SelfAttested

22.10.1999 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के पिता कजोड के नाम हिस्सा 1/4 स्वीकार हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 4 के पिता कजोड के नाम पूर्व से हिस्सा 1/4 दर्ज होते से जमाबंदी सम्वत 2067 2070 में प्रतिवादी संख्या 4 के पिता कजोड का हिस्सा 1/2 दर्ज तो हो गया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/4 का नाम नहीं हटाकर खाते से वादी संख्या 9 व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/4 अंकित कर दिया गया जो कि गलत व अवैध है। जो वादीगण के अधिकारों के विरुद्ध प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 386 रकबा 0.23 हैक्टयर स्थित ग्राम खेडी गोकुलपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर दिया इसलिये जमाबंदी सम्वत 2067 2070 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम अंकित नहीं होना चाहिये था तथा तत्काल जमाबंदी बनाते समय पटवारी भू.अ.नि. जाँच द्वारा इस खाते का इन्द्राज सही नहीं दर्ज करके प्रतिवादी संख्या 4 के पिता कजोड हिस्सा 1/2 जाति अहीर के अलावा सभी सहखातेदारों की जाति भी अहीर गलत दर्ज कर दी गयी। जो वादीगण के अधिकारों के विरुद्ध प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है। वादीगण को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 386 रकबा 0.23 हैक्टेयर स्थित ग्राम खेडी गोकुलपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की जमाबंदी सम्वत 2071–2074 व अन्य राजस्व रिकार्ड दिनांक 20.07.2020 को प्राप्त करने से गलत व अवैध इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1 रामकिशोर पुत्र लक्ष्मीनारायण द्वारा अपने हिस्से का बेचान करने के बाद भी प्रतिवादी संख्या 1 का नाम अंकित कर दिया तथा वादीगण की जाति अहीर गलत अंकित कर दी गयी जिसको दुरूस्त कराने के लिये वादीगण ने तहसीलदार महोदय के समक्ष निवेदन किया तो तहसीलदार महोदय ने कहा कि उक्त रिकार्ड दुरूस्त सक्षम न्यायालय के आदेश से हो सकता है। वादीगण राजस्व विभाग के द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में किये गये गलत इन्द्राज को शुद्ध कराने तथा जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाने तथा वादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता व वादी संख्या 5 के ससुर व वादी संख्या 6 व 7 के दादा रामसहाय व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता रामसहाय जाति–पुरोहित तथा वादी संख्या 8 जाति–पुरोहित तथा वादी संख्या 9 जाति–पुरोहित की घोषिण कराने का कानूनी अधिकारी है। वादी संख्या 5 के पति श्याम प्रकाश व वादी संख्या 6 व 7 के पिता श्याम प्रकाश की मृत्यु दिनांक 16.02.2014 को हो गयी है। श्याम प्रकाश की मृत्यु के उपरान्त उनके विधिक वारिस वादी संख्या 5 लगायत 7 है। इसलिये वादी संख्या 5 लगायत 7 माननीय न्यायालय से अपने हिस्से का घोषणा कराकर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कराने के अधिकारी है। वादग्रस्त कृषि भूमि ख़सरा नम्बर 386 रकबा 0.23 हैक्टयर स्थित ग्राम खेडी गोकुलपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में कमला उर्फ सुप्यार बेवा रामसहाय का नाम भी अंकित है। जिसकी मृत्यु दिनांक 20.08.2014 को हो चुकी है। इसलिये इसके विधिक वारिस वादी संख्या 1 लगायत 7 [illegible] प्रतिवादी [illegible] 3 है। इसलिये वादी संख्या 1 लगायत 4 व प्रतिवादी संख्या 2 व [illegible] बराबर बराबर हिस्सा माननीय न्यायालय से अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित [illegible] के अधिकारी है। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 386 रकबा [illegible] स्थित ग्राम खेडी गोकुलपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में प्रतिवादी [illegible]या 1 उक्त कृषि भूमि को खुर्द बुर्द अथवा बेचान, हस्तान्तरण कर सकता है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 386 रकबा 0.23 हैक्टयर स्थित ग्राम खेडी गोकुलपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर को खुर्द बुर्द कर, अन्यत्र किसी को बेचान नहीं करे, ना ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:41:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

हस्तान्तरण करे। वादी को वाद कारण दिनांक 20.07.2020 को अपने खाते की जमाबंदी व राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर एवं राजस्व विभाग के द्वारा गलत इन्द्राज करने से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है।

प्रतिवादी संख्या 5 को धारा 80 सीपीसी का नोटिस देना आवश्यक है परन्तु वाद अति आवश्यक प्रकृति को होने के कारण नोटिस देना संभव नहीं है। जिसके लिये अलग से प्रार्थना पत्र बावत् छूट चाहने हेतु बाद के साथ प्रस्तुत है। खातेदार कजोड की मृत्यु हो जाने से प्रतिवादी सं. 4 को प्रारूपिक पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त भूमि ग्राम खेडी गोकुलपुरा पटवार हल्का खेडी गोकुलपुरा भू.अ.नि क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित होने के कारण श्रीमान न्यायालय को वाद पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

(क) वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को ग्राम खेडी गोकुलपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 386 रकबा 023 हैक्टयर का खातेदार रामवतार, सत्यनारायण उर्फ रतन मोहन, श्री नन्दन, चन्द्रकप्रकाश पिता रामसहाय हिस्सा 2/21 हिस्सा बराबर बराबर राजकुमारी पत्नी स्व. श्याम प्रकाश, वरूण पुत्र स्व. श्याम प्रकाश, मेघना पुत्री स्व. श्याम प्रकाश हिस्सा 1/42 हिस्सा बराबर बराबर, प्रेम देवी व रामकन्या पुत्रिया स्व. रामसहाय हिस्सा 1/168 हिस्सा बराबर बराबर, रामशरण पुत्र भौंरीलाल हिस्सा 1/8, रामकृपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/4 जाति–पुरोहित की घोषणा की जावे।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 386 रकबा 0.23 हैक्टयर स्थित ग्राम खेडी गोकुलपुरा तहसील सांगानेर, ज़िला जयपुर को खुर्द बुर्द कर, अन्यत्र किसी को बेचान नही करे, ना ही हस्तान्तरण करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 30.09.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता एडवोकेट ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया । दिनांक 28.10.2020 को प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से श्री लोकेश कम्बाल एडवोकेट ने अण्डर टेकिंग दी। दिनांक 17.2.2021 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के अधिवक्ता उपस्थित तथा प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से उसके एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई पत्रावली में सहमति का जवाब दावा प्रस्तूत होने पर तनकीयात कायम नही की गई दिनांक 24.2.2021 को वादी रामकृपाल का शपथ पत्र पेश किया गया तथा दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकित किये गये, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा जिरह करने से मना किया गया साक्ष्य वादी बंद कर पत्रावली को साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत किया गया दिनांक 10.03.2021 को प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में गवाह रामकिशोर का शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर वादी ने जिरह करने से इंकार किया गया तथा पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

उभयपक्षों की बहस सूनी गई वादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि दावा एवं जवाब प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 व दस्तावेजात अनुसार दावा डिक्री किया जावें, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा वाद को डिक्री किये जाने में सहमति जाहिर की। वादी द्वारा दावे के समर्थन में ग्राम खेडीगोकुलपुरा तहसील सांगानेर की अवधि बदोबस्त खाता संख्या 71 संवत 2046 से 2066 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:41:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तहसील (सांगानेर)

प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 1, जमाबंदी संवत 2067 से 2070 खाता संख्या 112 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 2, जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 126की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 3, नामान्करण संख्या 71 दिनांक 22.10.1999 कि प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 4 , तहसीलदार सांगानेर के समक्ष प्रस्तूत प्रार्थना पत्र की असल प्रतिलिपि प्रदर्श 5 पेश किये गये वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की बहस पर मनन किया गया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से प्रस्तूत जवाब दावा एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है

वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को ग्राम खेडी गोकुलपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 386 रकबा 023 हैक्टयर का खातेदार रामवतार, सत्यनारायण उर्फ रतन मोहन, श्री नन्दन, चन्द्रकप्रकाश पिता रामसहाय हिस्सा 2/21 हिस्सा बराबर बराबर राजकुमारी पत्नी स्व. श्याम प्रकाश, वरूण पुत्र स्व. श्याम प्रकाश, मेघना पुत्री स्व. श्याम प्रकाश हिस्सा 1/42 हिस्सा बराबर बराबर, प्रेम देवी व रामकन्या पुत्रिया स्व. रामसहाय हिस्सा 1/168 हिस्सा बराबर बराबर, रामशरण पुत्र भौंरीलाल हिस्सा 1/8, रामकृपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/4 जाति–पुरोहित के आदेश दिये जाते है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुंरस्त किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त वाद ग्रस्त भूमि का खसरा नम्बर 386 रकबा 0.23 हैक्टयर स्थित ग्राम खेडी गोकुलपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर को खुर्द बुर्द न करे, ना ही अन्यत्र किसी को बेचान करे, ना ही हस्तान्तरण करे। वाद खर्चा वादी एवं प्रतिवादी स्वयं वहन करे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9/7/21 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(... नायक)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर द्वितीय, (सांगानेर)
जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:41:00 IST
Reason: SelfAttested